न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
32/20	22-6-20	31-8-21

उनवान

1. जयसिंह पुत्र स्व0 श्री पन्नी लाल जाति जाटव निवासी ग्राम नांगल मोंजिया तह0 किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।
2. कन्हैयालाल पुत्र श्री पन्नी लाल जाति जाटव निवासी ग्राम नांगल मोंजिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।
3. लीलावती पुत्री स्व0 श्री पन्नी लाल जाति जाटव निवासी ग्राम नांगल मोंजिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।
4. तारावती पुत्री स्व0 श्री पन्नी लाल जाति जाटव निवासी ग्राम नांगल मोंजिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।
5. मंजु पुत्री स्व0 श्री पन्नी लाल जाति जाटव निवासी ग्राम नांगल मोंजिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान। :–वादीगणः–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब(लेण्ड होल्डर) किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।

:– प्रतिवादीः–

(दावा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थितिः–

1.श्री रतिराम चौधरी वकील वादीगण की ओर से।

2.प्रतिवादी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णयः–

पत्रावली पेश हुई । दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

वादीगण ने वाद पेश किया है कि राजस्व ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित हाल आराजी ख0 न0 3166 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा(0.5900) का 40/47 भाग किस्म बारानी वादीगण के पिता श्रीं पन्नी पुत्र चांवडराम जाति हरिजन (चमार) निवासीयान नांगल मौजिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान की खरीदशुदा कब्जा काश्त की खातेदारी की आराजी है जो वादीगण के मृतक पिता स्व0 श्री पन्नी ने जर्ये बयनामा दिनांक 14.5.1980 को तहरीर कराकर दिनाकं 15.5.1980 को सब–रजिस्टार साहब किशनगढबास द्वारा पंजीबद्व कराया गया है जो पुस्तक सं0 04जिल्दं स0 120 पृष्ट स0 161 व 162 कम सं0 672 पर पंजीबद्व किया जाकर सब रजिस्टार द्वारा विक्रेता एवं उपस्थित साक्षियों के हस्ताक्षर कराये

Scanned with CamScanner

कर तस्दीक किया गया है तथा अपनी सील व मोहर लगाकर असल बयनामा केता मृतक श्री पन्नी को वापस लौटाया गया है। जिस बयनामा की असल कॉपी व फोटो कॉपी संलग्न वाद पत्र की जा रही है। जो आराजी वाद विवादित कहलायेगी

मुतवादिया आराजी ख0नं0 हाल 3166 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम खैरथल जो मौजूदा वाद मे विवादित आराजी कहलायेगी, पर बवक्त खरीद से मौका पर वादीगण का पिता मृतक पन्नी तन्हां रूप से शान्ति पूर्वक काबिज काश्त बतौर खरीदशुद्वा खातेदार रहा है और उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण 1 लगा0 5 का बतोर जायज उत्तराधिकारी आज तक शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त मुतदाविया आंराजी पर चला आ रहा है और वर्तमान में मौका पर हम वादीगण का सम्मान हिस्सा पर फसल जोत बो रहे है। वादीगण अपने अधिकारो की रक्षार्थ मौजूदा द्वारा मुताबिक बयनामा दिनांक 15.5.1980 के आधार पर नामांन्तकरण संख्या 796 दिनांक 26.6.1981 तथा इस इंतकाल के अधार पर प्रारम्भ से ताहाल तक कायमशुद्वा चौसाला जमाबन्दीयात में अपने पिता का नाम पन्नीराम पुत्र चांवडमल का अंकन दर्ज कराने व गलत इन्द्राज जो इंतकाल न0 796 में पाती पुत्र चावंडमल को कलमजन कराकर नल एण्ड वाईड करार दिलाये जाने व दुरूस्ती इन्द्राज भू– अभिलेख आदि में दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाये जाने योग्य है डिक्री फरमाया जावेः–

(अ)–यह है कि वादीगण के पिता पन्नी की खरीदशुद्वा आराजी ख0न0 3166 रकबा 0.5900 हे0 का 40/47 भाग अर्थात 2 बीघा का बयनामा दिनांक 15.5.1980 पर खातेदार काबिज व दखील रहा है। इन्तकाल संख्या 796 दिनांक 26.6.1981 में गलत अंकन पाती को कलमजन (हजफ) कराकर इसके स्थान पर पन्नी मुताबिक बयनामा दर्ज करार पाने व जमाबन्दीयात ताहाल में पन्नी दुरूस्त कराने की डिक्री हांसिल करने के अधिकारी है। इसी कदर दावा वादीगण इश्तकारहक डिक्री पारित की जावे।

(ब)–दीगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत मुनासिब समझे , अता फरमायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा वादी ने दो शपथ पत्र पी.डब्लू–2 कन्हैयालाल, पी.डब्लू–1 जयसिंह के पेश किये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल विक्रय पत्र कृषि भूमि दिनांक 14.5.1980 प्रदर्श–1ए, प्रदर्श –2 जमाबंदी हाल की प्रमाणित प्रति पेश की गई है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के पिता पन्नी पुत्र चावडमल की खरीदशुद्वा आराजी ख0न0 3166 रकबा 0.5900 हे0 का 40/47 भाग अर्थात 2 बीघा का बयनामा दिनांक 15.5.1980 के आधार पर इन्तकाल संख्या 796 दिनांक 26.6.1981 में गलत अंकन वादीगण के पिता का नाम पाती पुत्र चावडमल को कलमजन

Scanned with CamScanner

करवाकर इसके स्थान पर पन्नी पुत्र चांवडमल मुताबिक बयनामा दर्ज करार पाने व जमाबन्दीयात ताहाल में पन्नी दुरूस्त कराने की डिक्री हांसिल करने के अधिकारी है। इसी कदर दावा वादीगण इस्तकारहक डिक्री पारित की जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं जमाबंदीयात से साबित होता है कि आराजी ख0न0 3166 रकबा 2बीघा 07 बिस्वा का 40/47 भाग का इंतकाल संख्या में वादीगण के स्वर्गीय पिता श्री पन्नी पुत्र श्री चांवडराम जाति हरिजन निवासी नांगल मौजिया तहसील किशनगढबास जिला अलवर की खरीदशुदा एवं वादीगण की कब्जा काश्त की खातेदारी की आराजी का इन्तकाल सं0 796 दिनांक 26.6.1981 गलत अंकन पाती पुत्र चांवडाराम को कलमजन किया जाकर। पाती के स्थान पर पन्नी उर्फ पाती दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर लेख भण्डार रहें निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner